न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 19/2016/(2013/00064) जिला–अजमेर

भंवर सिंह पुत्र श्री कम्मा जाति रावत निवासी ग्राम नाला पुष्कर, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. गोरी बेवा सीताराम
2. करम सिंह पुत्र सीताराम
3. सुमेर सिंह पुत्र सीताराम
4. छोटू सिंह पुत्र सीताराम
5. कोमल पुत्री सीताराम
6. सुगना पुत्री सीताराम
   प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति गौरी बेवा सीताराम
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर

–––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, अजमेर
दिनांक 26–8–2015 अन्तर्गत अपील संख्या 34/2014
बउनवान भंवर सिंह बनाम गोरी व अन्य

––––

उपस्थित– 1. श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हरदेव सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:03 IST
Reason: Self Attested

दिनांकः– 31.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नाला पुष्कर में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 17[illegible], 1773, 1764, 1763/2473, 1756 जो खाता संख्या 355 में वर्णित है तथा 4[illegible] जो खाता संख्या 354 में वर्णित है जिसके खसरा मिलान अनुसार वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 832 रकबा 2

बीघा, 835 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 840 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1024 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वुसी कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी बाबत वर्किंग जमाबंदी में झुम्मी बेवा कम्मा, भैरू पुत्र कम्मा, नानू सिंह पुत्र कम्मा, सीताराम पुत्र कम्मा तथा भंवर सिंह पुत्र कम्मा सहकाश्तकार के रूप में अंकित किये हुए थे तथा सभी कम्मा के वारिसान है। झुम्मी बेवा कम्मा तथा भैरूसिंह, नानूसिंह एवं सीताराम पुत्र कम्मा ने भूमि में निहित अपना 4/5 हिस्सा जरिये पंजीकृत रीलीज डीड पंजीयन दिनांक 16–10–1998 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में रिलीज कर दिया। जिसके आधार पर पटवारी हलका ने नामान्तरकरण भरकर भू.अ.निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे जांच के उपरान्त अंकन सही होना माना परन्तु तहसीलदार पुष्कर ने दिनांक 28–8–2014 को पंजीकृत विलेख के अंकन के विपरीत जाकर नामान्तरकरण मात्र भैरू सिंह एवं नानू सिंह की रीलीज बाबत भंवर सिंह के पक्ष में स्वीकार किया तथा सीताराम द्वारा की गई रिलीज डीड में उनके हक, हिस्से बाबत नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया। अपीलार्थी ने जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष तहसीलदार भू.अ. पुष्कर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 28–8–2014 से असन्तुष्ट होकर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर, अजमेरके समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–8–2015 द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि राजस्व अधिकारियों को नामान्तरकरण बाबत आदेश पारित करते समय यदि नामान्तरकरण किसी पंजीकृत विलेख के माध्यम से किया गया है तो उसके अनुसरण में अंकन पत्रों की जांच करने के उपरान्त पारित करना होता है तथा पटवारी द्वारा समस्त जांच करने के उपरान्त नामान्तरकरण जांच हेतु भू.अ.निरीक्षक को प्रेषित किया गया तथा भू.अ.निरीक्षक ने भी उक्त अंकन को सही माना। उसके पश्चात बिना कारण दर्शित किये तहसीलदार पुष्कर ने सीताराम के 1/5 हिस्से बाबत नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में अंकित नहीं किया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सीताराम पुत्र कम्मा ने स्वयं पंजीकृत रिलीज डीड अपने भाईयों व मां के साथ उप पंजियक पुष्कर के समक्ष उपस्थित होकर निष्पादित की तथा राजस्व कर्मचारियों [illegible]वाही के कारण रिलीज डीड के अनुसरण में नामान्तरकरण [illegible] सीताराम की मृत्यु हो गई परन्तु उसके द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख से वह स्वयं तथा उसके वारिसान भी पाबन्द है तथा पंजीकृत दस्तावेज के अनुसरण में राजस्व रेकार्ड अपडेट नहीं किये जाने से इसी दौरान सीताराम की अन्य भूमियों बाबत नामान्तरकरण स्वीकार करते हुए रीलीज शुदा भूमि बाबत भी विरासत का अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:03 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया गया। परन्तु रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करते समय तहसीलदार पुष्कर को विधि सम्मत तरीके से निष्पादित रिलीज को सीताराम की रिलीज बाबत नजरअन्दाज करने का कोई हक अधिकार नहीं था तथा पंजीकृत विलेख के माध्यम से अधिकारों का हस्तांतरण हो जाने के उपरान्त पश्चातवर्ती विरासत के नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण पंजीकृत विलेख को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस कारण रिलीज डीड के आधार पर समुचित इन्द्राज नहीं कर जो नामान्तरकरण स्वीकार किया गया वह त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्त किया जाना था। तहसीलदार, पुष्कर ने उन आधारों एवं कारणों का अंकन नामान्तरकरण में नहीं किया है जिसका उल्लेख रिलीज डीड में अंकित समस्त भूमि अपीलार्थी के नाम की जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—8—2015 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 28—8—2014 में संशोधन व दुरूस्ती की जाकर सीताराम के वारिसान के स्थान पर सीताराम द्वारा की गई रिलीज डीड के अनुसरण में अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि तहसीलदार, पुष्कर द्वारा सीताराम द्वारा पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 16—10—98 के आधार पर ही अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो विधिसम्मत है। नामान्तरकरण फिस्कल प्रोसिडिंग है इससे पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में अपने हकों के लिए नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम नाला पुष्कर में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1772, 1773, 1764, 1763/2473, 1756 जो खाता संख्या 355 में वर्णित है तथा खसरा नम्बर 411 जो खाता संख्या 354 में वर्णित है जिसके खसरा मिलान अनुसार वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 832 रकबा 2 बीघा, 835 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 840 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1024 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी बाबत वर्किंग जमाबंदी में झूमी बेवा कम्मा, भैरू पुत्र कम्मा, नानू सिंह पुत्र कम्मा, सीताराम पुत्र कम्मा तथा भैरू सिंह पुत्र कम्मा सहकाशतकार के रूप में अंकित किये हुए थे तथा [illegible] वारिसान है। विवादग्रस्त आराजियात बाबत रिलीज डीड मु0 झूमी बेवा स्व0 कम्मा, भैरू सिंह, सीताराम, नानू सिंह पिसरान स्व0 कम्मा जाति रावत निवासीगण ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:03 IST
Reason: Self Attested

प्रथम पक्ष द्वारा अपीलार्थी श्री भंवर सिंह पुत्र स्व0 कम्मा के पक्ष में दिनांक 16–10–98 को रीलीज डीड उप पंजीयक पुष्कर के समक्ष निष्पादित की जिसमें प्रथम पक्ष द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि श्री भंवर सिंह पुत्र स्व0 कम्मा के हक में त्याग करना स्वीकार किया गया है जिसका उल्लेख रिलीज डीड में भी किया हुआ है। तहसीलदार, पुष्कर द्वारा नामान्तरकरण में भैरू सिंह एवं नानू सिंह की रिलीज बाबत भंवर सिंह के पक्ष में स्वीकार किया तथा सीताराम द्वारा की गई रिलीज डीड अनुसार उनके हक, हिस्से का नामान्तरकरण में उल्लेख नहीं किया गया है जबकि रिलीज डीड में प्रथम पक्ष में अंकित पक्षकारों मु0 झुम्मी बेवा स्व0 कम्मा, भैरू सिंह, सीताराम, नानू सिंह पिसरान स्व0 कम्मा जाति रावत द्वारा अपने हक एवं हिस्से की भूमि का हक त्याग दिनांक 16–10–98 को ही किया जा चुका था तो नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 28–8–2014 में रिलीज डीड में अंकित प्रथम पक्ष के पक्षकारों का नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। तहसीलदार, पुष्कर को रिलीज डीड के अनुसार ही अपीलार्थी भंवर सिंह पुत्र कम्मा के नाम उनके हक हिस्से बबत ही नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था। तहसीलदार, पुष्कर द्वारा सीताराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत कर सीताराम के समस्त वारिसानों का नाम अंकित कर दिया जबकि उनके द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व में ही हक त्याग किये जाने से उनके विवादग्रस्त आराजियात पर अधिकार समाप्त हो जाते है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–08–2015 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 34/2014 बउनवान भंवर सिंह बनाम गौरी व अन्य व तहसीलदार, पुष्कर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 28–8–2014 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, पुष्कर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे सीताराम द्वारा दिनांक 16–10–98 को अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित रिलीज डीड में उल्लेखानुसार उनके हक व हिस्से बाबत खसरा नम्बरान का अंकन करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी आदेश पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:03 IST
Reason: SelfAttested